कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प–6 (27) पु.अ./म.अ.नि.प्र./सान्अवि/09/2185–2260 दिनांक : 30-4-2012

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के तहत पुलिस (विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं किशोर या बाल कल्याण अधिकारी) के कर्त्तव्य एवं दायित्व के संबंध में मार्ग दर्शिकाः–

परिचय

भारतीय संविधान बच्चों की खुशहाली के लिए किये जाने वाले कार्यो पर बल देता है तथा बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित व गरिमामय माहौल में उनके विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है। संसंद ने विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने तथा विधि से संघर्षरत किशोरों को समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक कानून पारित किया है, जो किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 के नाम से लागू हुआ है। इस कानून में भारत के संविधान के विभिन्न उपबन्ध अनुच्छेद–15 का खण्ड (3) तथा अनुच्छेद 39 के खण्ड (ड) व (च) का समावेश है, जिसमें राज्य को यह प्राथमिक दायित्व सौपें गये हैं कि बच्चों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये और उनके आधारभूत मानवीय अधिकार पूर्णरूप से संरक्षित किये जायें।

वर्तमान में जो अपराध न्याय व्यवस्था लागू है, वह बच्चों (आयु 0–18 वर्ष) पर लागू नहीं होती है, इसलिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत पृथक से किशोर न्याय व्यवस्था लागू की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 एवं किशोर न्याय मानक नियम, 1985 (बीजिंग रूल्स) एवं रियाद दिशा–निर्देशों पर आधारित है। अधिनियम में सभी उपबंध बाल संरक्षण/विधि से संघर्षरत किशोर के अधिकार सुनिश्चित करने तथा पुलिस अधिकारियों को बाल हितैषी पुलिस बनाने के उद्देश्य से किये गये हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 में विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा पीडित बच्चों के मामलों में पुलिस हेतु पृथक कार्यवाही प्रकिया निर्धारित की गई है, जिसे बाल मैत्री व्यवहार एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कियान्वित किया जाना अति–आवश्यक है।

राजस्थान में विगत कुछ वर्षो में विधि से संघर्षरत बच्चों (किसी स्थापित विधि का उल्लघंन करने वाले) की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के

तहत प्रत्येक जिले में विभिन्न संस्थाओं (किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई) तथा विभिन्न सम्प्रेक्षण, विशेष एवं बाल गृहों की स्थापना की है, जिनमें बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु समस्त सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु हाल ही में नये राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 लागू किये है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अधिनियम एवं बच्चों के संरक्षण के संबंध में समय–समय पर आवश्यक आदेश/दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

राजस्थान पुलिस द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 63 (1) के तहत राज्य के प्रत्येक पुलिस जिले (जी.आर.पी. सहित) में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं धारा 63 (2) के तहत प्रत्येक थाना स्तर पर किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है। अति0 महानिदेशक पुलिस के कार्यालय के पत्रों दिनांक 19.01.2011, 25.10.2011 एंव 30.03.2012 के जरिये भी बच्चों के संरक्षण हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं। राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 84 में विशेष किशोर पुलिस इकाई के संचालन एंव किशोर या बाल कल्याण अधिकारी के कार्यो संबंधी प्रावधान उपलब्ध हैं।

गृह विभाग द्वारा हाल ही में बच्चों के विरूद्ध बढ़ते अपराधों को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिनमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000, बालश्रम प्रतिषेध एवं नियोजन अधिनियम, 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956, गुमशुदा बच्चों की पहचान एवं भारतीय दण्ड संहिता के संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कियान्वयन एवं मामलों में त्वरित जांच करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिशा–निर्देश में प्रत्येक थाने में चाईल्ड हैल्प–डेस्क की स्थापना एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध के मामलों में सकारात्मक भूमिका का निवर्हन करते हुए तुरन्त प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये हुए हैं।

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के मुख्य प्रावधान।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एक विशेष राष्ट्रीय अधिनियम है, जिसमें निम्नानुसार तीन श्रेणी के बच्चों को शामिल किया गया है–

1. विधि से संघर्षरत किशोर/बालक
2. देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
3. पीड़ित बच्चे

अधिनियम में विधि से संघर्षरत बच्चों (बच्चों द्वारा किसी स्थापित विधि का उल्लघंन करना) के मामलों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रकिया निर्धारित की गई है, जो कि द.प्र.स. से भिन्न है। अधिनियम की मंशा है कि बच्चों के साथ सामान्य अपराधियों की तरह व्यवहार न किया जावे। पुलिस के द्वारा बच्चों को सामान्य अपराधियों की तरह मानकर

कार्रवाई करने के कई गंभीर परिणाम सामने आये हैं, जिनमें बच्चों का बड़े होकर अपराधी बनना भी शामिल है। अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करते हुए उनको पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाना आवश्यक है। पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे को यकीन दिलाना होगा कि वह उसे सजा दिलाने के बजाय उसके हितार्थ मित्र के रूप में व्यवहार कर रहा है। पुलिस को बच्चों पर यातना देने पर प्रतिबन्ध होने के साथ–साथ उनको हथकड़ी नही लगाने, थाने या लॉक–अप में नहीं रखने एवं बच्चों के साथ सादा वस्त्रों में रहने के निर्देश प्रदान किये हुए हैं।

2.विधि से संघर्षरत किशोर/बच्चे।

अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में विधि से संघर्षरत किशोर/बच्चा, उसे माना गया है, जिसने 18 वर्ष से कम उम्र में किसी स्थापित विधि का उल्लघंन किया है।

3.किशोर न्याय बोर्ड।

विधि से संघर्षरत किशोर/बच्चों के मामलों की जांच/सुनवाई/जमानत एवं मामले के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित न्यायपीठ "किशोर न्याय बोर्ड" के नाम से जानी जाती है। राज्य के सभी जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड सभी कार्य दिवसों पर कार्यरत हैं। बोर्ड मे अध्यक्ष के रूप में प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त दो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य में प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले का निस्तारण नियमानुसार 4 माह, विषम परिस्थितियों में अधिकतम 6 माह में किया जायेगा, अन्यथा वे सभी मामले स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। अधिनियम के अन्तर्गत विधि से संघर्षरत किशोर को किसी भी स्थिति में मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित नहीं किया जा सकता है।

4. विशेष किशोर पुलिस इकाई।

राज्य के सभी जिलों में अधिनियम की धारा 63 के तहत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई, प्रत्येक थाने में नियुक्त किशोर या बाल कल्याण अधिकारी व दो अवैतनिक/वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं (एक महिला) के कार्यों की समीक्षा, निगरानी एवं निरीक्षण करेगी। संबंधित विशेष किशोर पुलिस इकाई में जिले का पुलिस अधीक्षक इकाई के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, कार्यालय में नियुक्त अपराध सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त अधिनियम, नियम, विभिन्न दिशा–निर्देशों आदि के कियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला विशेष किशोर पुलिस इकाई के समस्त सदस्यों के साथ प्रत्येक तीन माह में एक बार समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। बैठक में जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई/चाइल्ड लाईन एवं इस क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित

किया जायेगा। बैठक में प्रत्येक थाने में किशोर या बालकों से संबंधित प्राप्त मामलों पर चर्चा की जायेगी तथा जिले में बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराध एवं उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सक्रियता से कार्य करने के संबंध में निर्देशित किया जायेगा। विशेष पुलिस इकाई थानों में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारियों व दो अवैतनिक/वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं (एक महिला) हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

5. किशोर या बाल कल्याण अधिकारी।

प्रत्येक पुलिस थाने में अधिनियम की धारा 63 (2) के तहत थानाधिकारी या उपनिरीक्षक, जो बच्चों से जुड़े मुद्दों पर जानकारी रखता हो, प्रशिक्षित हो, को बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। उक्त अधिकारी की मदद हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के माध्यम से दो अवैतनिक/वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं (एक महिला) की भी नियुक्ति करेंगे। उक्त अधिकारी, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संगत नियमों के प्रावधानों से भली–भांति परिचित होना चाहिए। उक्त अधिकारी द्वारा ही थाना क्षेत्र के विधि से संघर्षरत बच्चों के मामले देखे जायेंगे। अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि थाने की चाईल्ड हैल्प–डेस्क प्रभावी ढंग से कार्य करे। अपराध कारित बालिकाओं के मामलों में महिला अधिकारी की सहायता ली जायेगी। प्रत्येक बोर्ड के पास जिले के समस्त बाल कल्याण अधिकारियों की सूची मय फोन न0 उपलब्ध होने चाहिए। थाने के सूचना पट्ट पर सभी बाल कल्याण अधिकारियों के अतिरिक्त जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाईन, अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण/बाल गृह का नाम, पता मय दूरभाष नं. प्रदर्शित होना चाहिए।

6. विधि से संघर्षरत किशोर का पकड़ा जाना।

राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 11(2) के अनुसार पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत बालक के पकड़े जाने पर उसे थाने के किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जायेगा तथा वह अधिकारी अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार किशोर को 24 घंटे (यात्रा समय को छोड़कर) के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई उन्हीं मामलों में की जायेगी, जिसमें सात वर्ष से अधिक सज़ा का प्रावधान है। सात वर्ष से कम उम्र की सज़ा के मामलों में विधि से संघर्षरत बालक को अधिनियम एवं नियम के प्रावधानानुसार थाने स्तर पर ही जमानत दी जा सकेगी, परन्तु उस मामले का विस्तृत विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर बालक एवं उसके परिजनों को बोर्ड द्वारा मामले हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

विधि से संघर्षरत किशोरों के मामले किसी भी स्थिति में सामान्य न्यायालय मे पेश नहीं किये जा सकते है। किशोर को बोर्ड के किसी भी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु देर रात्रि के समय बच्चे को बोर्ड के सदस्य से सम्पर्क नहीं होने की

स्थिति में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाकर अगले दिन बोर्ड के प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। विधि से संघर्षरत किशोर को किसी भी स्थिति में थाने में नहीं रखा जायेगा तथा किशोर को सहायक न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

जहां अधिनियम धारा 63 की उपधारा (2) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है अथवा वह कुछ शासकीय कारणों से उपलब्ध ना हो, तो वहां किशोर/बालक को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा ही उक्त कार्यवाही की जायेगी।

7. विधि से संघर्षरत किशोर/बालकों को संभालने के लिए निम्नाकिंत बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :–

1. इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किशोर के मन में यह बात न आये कि उसे चोर या झूठे व्यक्ति के रूप में पकड़ कर पूछताछ की जा रही है, अपितु उसे यह लगना चाहिए कि अधिकारी सच जानने का प्रयास कर रहा है।
2. किशोर को तुरन्त उसके ख़िलाफ़ आरोपों के बारे में सूचित किया जायेगा।
3. विधि से संघर्षरत किशोर का रिकॉर्ड गोपनीय रखा जायेगा।
4. अधिकारी को कोधित नहीं होना चाहिए और ना ही झूठे वादे करने चाहिए।
5. प्रश्न पूछने के दौरान किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य नहीं करेंगे, जिससे किशोर/बालक को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक क्षति पहुँचे।
6. अधिकारी को किशोर के प्रति सम्मान एवं समझदारी दिखाते हुए यह दर्शाना चाहिए कि वह उसका सर्वोत्तम हित चाहता है।
7. किशोर से पूछताछ गोपनीय एवं अनुकूल/बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में की जानी चाहिए।
8. किशोर से पूछताछ एवं उसका बयान सावधानीपूर्वक उसके माता–पिता एवं परिजनों के समक्ष लिया जायेगा। किसी भी दस्तावेज पर किशोर के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
9. किशोर को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। बालिकाओं के संबंध में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही कार्रवाई की जायेगी।
10. किशोर से उसके घर/सम्प्रेक्षण/बाल गृह या कोई अन्य उपयुक्त स्थान पर ही पूछताछ की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में थाने पर पूछताछ नहीं की जायेगी।
11. किशोर को किसी भी स्थिति में प्रतिपक्ष/अन्य व्यक्तियों (जिससे किशोर को खतरे की संभावना हो) के सम्पर्क में नहीं आने दिया जायेगा।
12. आवश्यकतानुसार पुलिस द्वारा किशोर को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, दुभाषिया एवं जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

13. किसी भी स्थिति में विधि से संघर्षरत बच्चों का नाम, पता, तस्वीर एवं उससे संबंधित जांच को किसी समाचार पत्र, पत्रिका और टी.वी. में नहीं दिया जायेगा।

8. आयु का निर्धारण।

विधि से संघर्षरत किशोर/बालक की आयु पता न लगने अथवा स्पष्ट न होने की स्थिति में कानूनी प्रकिया के माध्यम से किशोर/बालक की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयास किए जायेंगे। सन्देह की स्थिति में, सन्देह का लाभ विधि से संघर्षरत बालक को देते हुए उसे किशोर समझा जायेगा। विधि से संघर्षरत किशोर/बालक की आयु के प्रमाण हेतु मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि के माध्यम से एकत्रित करने के प्रयास किये जायेंगे। किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में राजकीय चिकित्सालय में स्थापित मेडीकल बोर्ड द्वारा आयु का निर्धारण करवाया जायेगा। आयु निर्धारण के प्रत्येक मामले में न्यायालय, बोर्ड अथवा समिति ऐसे किशोर/बालक की आयु का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने की तारीख के तीस दिन के भीतर करेंगे तथा न्यायालय, बोर्ड या समिति आयु निर्धारण जांच करने के लिए निम्नलिखित द्वारा साक्ष्य प्राप्त करेंगे :–

(क)(1) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो तो;
(2) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र (प्ले स्कूल/ओपन स्कूल)
(3) ग्राम पंचायत या शहरी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(ख) खण्ड (क) की अनुपलब्धता की स्थिति में सम्यक रूप से राजकीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किशोर की आयु का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) आयु निर्धारण के पश्चात् अभियुक्त यदि वयस्क पाया जाता है, तो तुरन्त प्राथिमिकी दर्ज कर जांच प्रारम्भ की जायेगी।

9. प्राथमिकी/एफ.आई.आर।

प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आयु का निर्धारण अति महत्त्वपूर्ण तथ्य है। किशोर के अपराध में शामिल होने संबंधी मामलों में कार्य करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है:–

1. ऐसे अपराध जिसके लिए सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, में शामिल किशोर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी।
2. यदि प्राथमिकी यह जानने से पूर्व ही दर्ज करवा दी गई है, कि इसमें किशोर शामिल है, तो भी यही प्रकिया अपनाई जायेगी।
3. प्राथमिकी दर्ज करवाई जायेगी जहां किशोर किसी वयस्क व्यक्ति के साथ शामिल है, तो इसकी जांच पृथक से नियमानुसार की जायेगी।
4. विधि से संघर्षरत किशोर/बालक प्रारम्भिक रूप से यदि 18 वर्ष से कम उम्र का लगता है, तो उसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व उसकी आयु के प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस हेतु जांच अधिकारी तुरन्त विधि से संघर्षरत किशोर/बालक के

माता–पिता या संरक्षक को शीघ्र सूचित कर उसकी आयु के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण–पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जन्मपत्री को छोड़कर) इत्यादि एकत्रित किये जायेंगे।

6. विधि से संघर्षरत किशोर/बालक का यदि पूर्व का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है तो आयु निर्धारण में उसका उपयोग लिया जा सकेगा, परन्तु वह उपरोक्त के अभाव में लागू होगा।
7. गिरफ्तारी परिपत्र (मैमो) की तर्ज पर आयु परिपत्र (मैमो) संधारित किया जायेगा, जिसमें विस्तार से आयु से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
8. आयु प्रमाण न होने की स्थिति में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी।
9. यदि किसी किशोर/बालक को वयस्क मानकर संबंधित जेल में भेज दिया जाता है तथा बाद में यह सामने आता है कि वह 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो संबंधित पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त जांच कर पता लगायेगा कि किस स्तर पर उम्र के निर्धारण में कमी रही है, एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

10. किशोर/बालक की अभिरक्षा।

जब भी कोई किशोर बाल कल्याण अधिकारी/प्रभारी को सौंपा जाता है, तो वह किशोर/बालक पर उसी प्रकार नियंत्रण रखेगा जैसे वह उसका अभिभावक हो तथा किशोर/बालक के भरण–पोषण/देखरेख/संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

11. किशोर/बालक की जमानत।

जब जमानतीय या गैर–जमानतीय मामले/प्रकरण में विधि से संघर्षरत किशोर पकड़ा जाता है या निरूद्ध किया जाता है या हाज़िर किया जाता है या बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, ऐसे किशोर को प्रतिभू के साथ या प्रतिभू के बिना जमानत पर छोड़ दिया जायेगा, परन्तु उसे छोड़ा नहीं जायेगा यदि यह विश्वास करने के लिए युक्ति–युक्त आधार हो कि छोड़े जाने के पश्चात् उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ ले जाने का नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा होने की संभावना हो, जो उसकी निर्मुक्ति न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगा। जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि किन कारणों पर ही जमानत दिया जाना उचित या अनुचित है। पुलिस द्वारा सात वर्ष से कम उम्र की सज़ा वाले जमानतीय या गैर–जमानतीय मामले/प्रकरण में विधि से संघर्षरत को परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में जमानत पर रिहा किया जायेगा।

12. अभिभावक, संरक्षक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना।

जब विधि से संघर्षरत कोई किशोर पकड़ा जाता है, तथा थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रभारी अधिकारी, जिसके समक्ष किशोर को लाया जाता है, पकड़े जाने के तुरन्त पश्चात् किशोर के माता–पिता या संरक्षक को शीघ्र सूचित करेगा और बोर्ड में हाज़िर होने के लिए निर्देश देगा। साथ ही किशोर की पूर्ववर्ती और पारिवारिक पृष्ठभूमि बाबत् सूचना

एकत्र करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को सूचित करेगा। जिन व्यक्तियों को सूचना दी जा रही है, उसकी दैनिक डायरी भी बनाई जायेगी।

13. किशोर/बालक एवं अन्य अपराधी के विरूद्ध संयुक्त कार्रवाई नहीं।

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किशोर को उस व्यक्ति के साथ आरोपित या विचारण नहीं किया जायेगा, जो किशोर नहीं है। उस अपराध का संज्ञान लेने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किशोर तथा दूसरे व्यक्ति के पृथक–पृथक मामले सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

14. अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई मे शामिल किशोर/बालक के नाम इत्यादि के प्रकाशन पर निषेध।

इस अधिनियम के अधीन विधि से संघर्षरत किशोर/देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का नाम, पता एवं उससे संबंधित जांच को किसी समाचार पत्र, पत्रिका और टी.वी. में कोई रिपोर्ट किशोर की पहचान की ओर ले जाने के लिए नाम, पता, या स्कूल या प्रकल्पित कोई अन्य विशिष्टयां प्रकट नहीं की जायेगी और ना ही किसी ऐसे किशोर की कोई तस्वीर प्रकाशित की जायेगी। अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानानुसार उपबन्धों का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति 25000 रुपये तक विस्तारित हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित होगा।

15. संज्ञानात्मक अपराध के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रकिया।

राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 11 के प्रावधानानुसार विधि से संघर्षरत किशोर/बालकों के साथ कार्य करते समय, साधारण अपराध में शामिल होने संबंधी मामलों में निकटतम पुलिस थाने का थाना प्रभारी/किशोर या बाल कल्याण अधिकारी किशोर की केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया, का उल्लेख करेगा तथा प्रथम सुनवाई से पूर्व बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि पुलिस ने सात वर्ष से कम अपराध के लिए दण्ड हेतु प्राथमिकी दर्ज करा दी है और अन्वेषण के पश्चात् पुलिस के यह ध्यान में आता है कि अपराध किशोर द्वारा कारित किया गया है तो पुलिस अधिकारी उस पर अन्तिम रिपोर्ट, सामाजिक रिपोर्ट, दैनिक डायरी प्रविष्टि इत्यादि के पश्चात् बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विधि से संघर्षरत किशोर/बालक की सामाजिक रिपोर्ट उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आय के साधन, शिक्षा, अभिभावक/संरक्षक के सामाजिक स्तर इत्यादि के आधार पर तैयार की जायेगी। विधि से संघर्षरत किशोर/बालक के सह समूह की पृष्ठभूमि को भी सामाजिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है। जिन परिस्थितियों में किशोर को पकड़ा गया एवं आरोपित किये जाने का विस्तृत विवरण भी इस रिपोर्ट में संलग्न किया जायेगा।

16. जांच कार्य की समाप्ति।

जहां किसी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के ख़िलाफ़ प्राथमिकी या शिकायत दर्ज की जाती है, जिसमें 7 वर्ष या ज्यादा की सज़ा का प्रावधान हो तो मामले के दर्ज होने के तीन माह के अन्दर जांच पूरी कर चालान पेश कर दिया जाना चाहिए। अगर इस अवधि में जांच पूरी ना हो तो बच्चे के ख़िलाफ़ मामला बन्द कर दिया जायेगा। जांच रिपोर्ट तभी पूरी मानी जायेगी जब इसे बोर्ड में पेश कर दिया जाये। जांच कार्य की समाप्ति की प्रक्रिया सी.आर.पी.सी. की धारा 167 में वर्णित है, जो निम्न प्रकार है :

1. 90 दिवस, जहां जांच मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक सज़ा से संबंधित हो।
2. 60 दिवस, जहां किसी दूसरे जुर्म से संबंधित हो। किशोर के खिलाफ़ आरोप पत्र 90 दिन के भीतर दाखिल होना चाहिए, जबकि किशोर सी.आर.पी.सी. की धारा 167 के अन्तर्गत किशोर/सम्प्रेक्षण गृह में हो या जमानत पर छूटा हो।

17. **"देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से तात्पर्य ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से है।**

1. जो किसी निवास या आश्रय या पर्याप्त रहने के स्थान और रोजमर्रा की मूलभूत आवश्यकताओं के बिना पाया गया है –
   (क) जो भीख मांगता अथवा या तो स्ट्रीट चिल्ड्रन या काम करता पाया जाता (बाल श्रमिक) है;
2. जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है (भले ही वह बालक का संरक्षक हो अथवा नहीं) तथा ऐसा व्यक्ति :–
   (क) बालक को जान से मार देने अथवा चोट पहुंचाने के लिए धमकाता हो या उसके द्वारा ऐसा करने की आशंका हो।
   (ख) जिसने दूसरे किसी बालक या बालक को मारा हो, दुर्व्यवहार या उपेक्षा की हो तथा इस बालक को भी मारे जाने, दुर्व्यवहार या उपेक्षा का खतरा हो।
3. जो शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त या बीमार, गंभीर या लाईलाज बीमारी से पीड़ित हो या बालक को किसी प्रकार का सहयोग अथवा देखभाल प्राप्त नहीं हो।
4. जिसके अभिभावक/संरक्षक बालक की गतिविधियों को नियंत्रित करने के अयोग्य अथवा अक्षम हो।
5. जिसके अभिभावक नहीं हैं एवं उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या अभिभावकों द्वारा परित्यक्त हो या खोया या भागा हुआ बालक और वह जिसे अभिभावकों द्वारा आवश्यक जांच के बाद भी खोजा नहीं जा सका।
6. वह जो यौन दुर्व्यवहार या अवैध गतिविधियों के उद्देश्य से दुर्व्यवहार, यातना या शोषण का शिकार हो या होने की आशंका हो।
7. वह जिसके कठिन परिस्थितियों जैसे मादक द्रव्य व्यसन एवं खरीद फरोख्त में फंसने की आशंका हो।

8. वह जिसके साथ अनैतिक लाभ के लिए दुर्व्यवहार करने की आशंका हो।
9. वह जो सशस्त्र संघर्ष, दंगे–फसाद, प्राकृतिक आपदा का शिकार हो।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त वह जो देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाला बालक हो।

जब कोई देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक किसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पाया जाता है, पुलिस उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी और उसे बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बाल गृह भेजने तथा अन्य आवश्यक आग्रिम कार्रवाई करेगी।

18. बाल कल्याण समिति।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संरक्षण, देखभाल एवं पुनर्वास संबंधी मामलों की जांच एवं निपटान हेतु अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत गठित न्यायपीठ **'बाल कल्याण समिति'** के नाम से जानी जाती है। राज्य के सभी जिलों में गठित बाल कल्याण समिति सप्ताह के निर्धारित तीन कार्य दिवसों पर राजकीय बाल गृह में बैठकें आयोजित करती हैं। समिति मे एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को किसी भी समय समिति के अध्यक्ष/सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु देर रात्रि के समय बालक को समिति के सदस्य से सम्पर्क नहीं होने की स्थिति में राजकीय एवं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयं–सेवी संस्था द्वारा संचालित बाल गृह में रखा जायेगा तथा अगले दिन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति द्वारा प्रत्येक मामले का निस्तारण नियमानुसार अधिकतम 4 माह में है। देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे को यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। पुलिस ऐसे बालकों के मामलों में जिले में संचालित चाईल्ड लाइन सेवा (1098) एवं जिले में गठित जिला बाल संरक्षण इकाई (सा.न्या.अ.वि. विभाग) से भी आवश्यकतानुसार सहायता ले सकती है।

19. देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक।

जब देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे किसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में पाया जाता है, निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी :–

1. बच्चे का नाम, पता मय विस्तृत विवरण (जिन कारणों से इस परिस्थिति में है) का दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दर्ज किया जायेगा।
2. देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे को यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन के संबंधित बाल कल्याण अधिकारी/थानाधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचित किया जाना आवश्यक होगा। पुलिस कन्ट्रोल रूम में भी ऐसे बच्चों का विवरण संधारित किया जायेगा।

4. गुमशुदा बच्चों से संबंधित समस्त सूचना गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट (एम.पी.आर.) में दर्ज की जायेगी। जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई द्वारा गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट गुमशुदा व्यक्ति जांच ब्यूरो को भेजना आवश्यक होगा। इसकी प्रति संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति को भी अनिवार्यता से प्रेषित की जाकर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराएगी।
5. गुमशुदा बच्चों से संबंधित समस्त सूचना मय फोटो ZIPNET (जीपनेट) पर प्रकाशित की जायेगी।
6. भागे/पलायन कर गए और खोये हुए/गुमशुदा बच्चों के मामलों में पुलिस एवं मल्टी टास्क फोर्स द्वारा उनके खो जाने या भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कर सभी विशिष्ट स्थानों पर फोटो जारी करेगी। सभी सार्वजनिक स्थानों, बाल गृहों, हॉस्पिटल, पार्क, रेल्वे स्टेशन एवं पास के पुलिस स्टेशन इत्यादि में जांच–पड़ताल करेगी। इस संबंध में आवश्यक समस्त प्रचार–प्रसार किया जायेगा। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त इन सभी मामलों का सतत् पर्यवेक्षण एवं निगरानी करेंगे तथा इन बच्चों के चिह्नीकरण के लिए गुमशुदा व्यक्ति जांच ब्यूरो, जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड एवं सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं/आमजन समूह को सूचित करते हुए उनके सहयोग से कार्य करेंगे।
7. गुमशुदा एंव पाये गये बच्चों से संबंधी समस्त कार्रवाई पुलिस महानिदेशक पुलिस के कार्यालय के पत्र दिनांक 17.12.2007 एंव अति0 पुलिस महानिदेशक पुलिस के कार्यालय के पत्रों दिनांक 26.08.2010, 09.02.2011, 06.03.2012 एंव 30.03.2012 एवं गृह (ग्रुप–13) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.03.2012 के अनुसार ही कार्रवाई की जायेगी।
8. यदि अभिभावक जानकार हैं, ऐसे किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच प्रारम्भ की जायेगी।
9. यदि अभिभावक जानकार नहीं हैं या किशोर अथवा बालक की गतिविधियों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं, किशोर को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बाल गृह/आश्रय गृह भेजा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में किशोर को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जायेगा।
10. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को पुलिस द्वारा किसी भी संस्था/गृह में स्वयं के स्तर पर नहीं भेजा जायेगा। समस्त मामलों में बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार ही कार्रवाई की जायेगी।
11. बालिका के साथ कार्य करते समय देखरेख एवं आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा। ऐसी बालिकाओं को महिला पुलिस के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी बालिका को सूर्यास्त बाद एवं सूर्योदय पूर्व हिरासत में नहीं लिया जायेगा।
12. बालिका की आवश्यकतानुसार बोर्ड/समिति के आदेश पर ही चिकित्सकीय जांच करवाई जायेगी।

13. बच्चों के विरूद्ध संगीन अपराध जिनमें वेश्यावृत्ति/बलात्कार/यौन उत्पीड़न के शिकार/चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बच्चों के शारीरिक अंगों का व्यापार/ पीडियोफाइल/ गुमशुदा/लापता बच्चे इत्यादि संगठित अपराध की श्रेणी में सम्मिलित माने जायेंगे। ये मामले त्वरित जांच एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए सी.आई.डी. को हस्तान्तिरित किये जायेंगे।

14. यौन शोषण/उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों के मामलों में अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जायेगा।

15. जिलो में गठित मानव तस्करी विरोधी यूनिट के सहयोग से अनैतिक कार्यों में लिप्त एंव अन्य काम के लिये लाये गये बच्चों को मुक्त कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार मानव तस्करी विरोधी टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी।

16. अनैतिक कार्यों के लिए मानव तस्करी संबंधी अधिनियम, 1956 के तहत आने वाली बालिकाओं को दोषी माने जाने के स्थान पर उन्हें गरिमा के साथ देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जायेगा।

17. आवश्यकतानुसार पीड़ित बच्चों के सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराये जायेंगे।

18. पुलिस अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी को मिले नवजात शिशु/बच्चों के मामलों में पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कर जॉच अधिकतम 10 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी तथा नतीजे की प्रति विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी।

19. पुलिस को मिलने वाले नवजात शिशुओं/बच्चों के मामलों में नवजात शिशु/बच्चे को तुरन्त चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी (सान्याअवि. विभाग) एवं बाल कल्याण समिति की मदद लेगी।

20. मानसिक रूप से निःशक्त बच्चे की राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकीय जांच करवा कर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यह सुनिश्चित होने के पश्चात् कि जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, समिति के आदेशानुसार उन्हें मानसिक विमन्दित गृह/बाल गृह में भेजा जायेगा।

21. बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने से पूर्व बाल कल्याण अधिकारी चाइल्ड हैल्प लाइन (1098)/जिला बाल संरक्षण इकाई का सहयोग लेकर तुरन्त काउन्सलिंग या देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाएगा।

20. देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों/बच्चों के विरूद्ध अपराध।

1. जो कोई भी एक बालक (18वर्ष से कम) पर वास्तविक आरोप या नियंत्रण को ध्यान में रखकर बालक पर प्रहार करता है, उसका परित्याग कर देता है, प्रकट करता है या जानबूझ कर बालक की उपेक्षा करता है या उस पर, उसका प्रहार, परित्याग,

प्रकट या उपेक्षा एक ऐसी रीति से करवाता है या उपाप्त करता है कि ऐसे बालक को अनावश्यक शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना हो। (अधिनियम की धारा 23)

2. जो कोई भी भीख मांगने के उद्देश्य से किसी बालक का प्रयोग करता है या करवाता है। (अधिनियम की धारा 24)
3. जो कोई भी सम्यक रूप से अर्हक चिकित्सा व्यवसायी के आदेश पर या बीमारी के मामले के सिवाय एक सार्वजनिक स्थान में कोई नशीली शराब या कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ किसी बालक को देता है या दिलवाता है। (अधिनियम की धारा 25)
4. जो कोई भी बालक को अर्थ उपार्जन के प्रयोजनार्थ प्रयोग करता है, प्रतिबंधित है। (अधिनियम की धारा 26)
5. अधिनियम की धारा 23 से 26 तक के सभी अपराध संज्ञेय श्रेणी के अपराध हैं। (अधिनियम की धारा 27)

21.देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालको/बालको के विरूद्ध अपराधिक मामलों में कार्रवाई।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों/बच्चों के विरूद्ध अपराध के मामलों को पुलिस, बाल कल्याण अधिकारी/थानाधिकारी कार्य करते समय निम्न लिखित कार्रवाई करेंगे :–

1. दैनिक डायरी में विस्तृत विवरण दर्ज किया जायेगा।
2. देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालको को बाल कल्याण अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या नाम निर्दिष्ट अधिकारी की सुरक्षा/अभिरक्षा में धारा 32 के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जायेगा। पीड़ित बच्चों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध तुरन्त प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।
3. पुलिस द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 के अन्तर्गत मामलों की आवश्यकतानुसार अपेक्षित जांच की जायेगी तथा इसे आरम्भ करने की तिथि से अधिकतम चार माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, साथ ही विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए बाल कल्याण समिति को भेजा जायेगा।
4. अधिनियम की धारा 26 में किसी भी व्यवसाय में लिप्त 18 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक सम्मिलित हैं, जिनके नियोक्ताओं के विरूद्ध इस धारा के साथ–साथ भा.स.द. व अन्य अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

22. निकल भागे/पलायन कर गए किशोर बाबत् उपबन्ध।

अधिनियम की धारा 22 के तहत कोई पुलिस अधिकारी विधि के साथ संघर्षरत किशोर का वारण्ट के बिना चार्ज ग्रहण कर सकेगा जो एक विशेष ग्रह से या सम्प्रेषण ग्रह से या उस व्यक्ति की देखरेख से निकल भागा जिसके अधीन उसे इस अधिनियम के अधीन रखा गया और यथास्थिति, विशेष गृह या सम्प्रेक्षण गृह या उस व्यक्ति के पास भेज दिया जायेगा, और कोई कार्रवाई ऐसे निकल भागने के कारण किशोर की बाबत् संस्थित की जायेगी, उस बोर्ड को, जिसने किशोर के सन्दर्भ में आदेश पारित किया, को सूचना दी जायेगी, जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवश्यक कदम उठायेगा। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किशोर/बालक को पेश करते समय बाल कल्याण अधिकारी भी उपस्थित होगा। ऐसे बालको के विरूद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जायेगी।

23. बालको से क्रूरता के लिए दण्ड।

कोई भी व्यक्ति एक वास्तविक आरोप या नियंत्रण को ध्यान में रख कर बालको पर प्रहार करता है, उसका परित्याग कर देता है, प्रकट करता है या जानबूझ कर किशोर की उपेक्षा करता है, जिससे बालको को शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना हो, ऐसी कालावधि के लिए छः माह तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकेंगे। स्कूलों/संस्थाओं में शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना से संबंधित मामले भा.द. स. के प्रासंगिक प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे, जो कि एक संज्ञानात्मक अपराध है।

24. भीख मांगने के लिए बालको का नियोजन।

जब भी पुलिस अधिकारी की जानकारी में यह आता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय या भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी बालको को नियोजित करता है या किसी कारण से भीख मंगवाता है, उसके विरूद्ध वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 24 के अन्तर्गत मामला दर्ज करेगा, जोकि एक संज्ञानात्मक अपराध है।

25. किसी व्यवसाय के प्रयोजनार्थ बालको का नियोजन।

जब भी पुलिस अधिकारी की जानकारी में यह आता है कि एक व्यक्ति किसी बालक (18 वर्ष से कम) को किसी भी प्रकार के व्यवसाय (जोखिमपूर्ण या गैर जोखिमपूर्ण) में नियोजित करता है और स्वयं के निजी अर्थोपार्जन के उद्देश्यों से बालक या किशोर से अर्थोपार्जन करवाता है, उसके विरूद्ध वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 व 26 के अन्तर्गत मामला दर्ज करेगा, जोकि एक संज्ञानात्मक अपराध है।

अधिनियम की धारा 23, 26, संबंधित भा.द.स. एवं अन्य अधिनियमों (बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, 1976 सहित) के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए क्षेत्रीय

स्टाफ एवं बीट गश्त दल उपरोक्त कार्यों में संलग्न पाये गये बालको से सावधानीपूर्वक पूछताछ करेंगे एवं उन लोगों का पता लगायेंगे, जो उनसे ये कार्य करवाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में उक्त कार्य बालको से नहीं करवाये जायेंगे और कानून में भा.द.स. के प्रावधानों के अनुसार अपराधी के खिलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त द्वारा जिला/उप क्षेत्रीय स्तर की टास्क फोर्स/एन.जी.ओ./चाईल्ड लाइन को कामकाजी बालको (बाल श्रमिक) की पहचान करने, छुड़ाने एवं उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवायेगा। पुलिस द्वारा घरों में श्रमिक के रूप में कार्यरत बालकों को भी प्राथमिकता से पहचान कर मुक्त कराया जायेगा। किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों की सूचना प्राप्त होने पर कार्यदल गठित कर पूर्ण तैयारी के साथ उन्हें मुक्त कराया जायेगा। सभी छुड़ाये गये बालकों के साथ सद्भावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जायेगा तथा बाल कल्याण समिति को सूचित करने के बाद ही बाल गृह के प्रभारी अधिकारी के सुपुर्द किया जायेगा।

26. ग्राम पंचायतों/एन.जी.ओ./स्वयं सेवी संस्थाओं से सहायता।

पुलिस, ग्राम पंचायतों एवं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अनुभवी एन.जी.ओ./स्वयंसेवी संस्था व अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता से विधि से संघर्षरत किशोर एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालको की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण जानने एवं आवश्यकतानुसार जांच–पड़ताल में सहयोग प्राप्त करेगी। इसी प्रकार विधि से संघर्षरत किशोर से संबंधित मामलों में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने से पूर्व मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता की सहायता ली जायेगी। पुलिस बालकों पर हो रही हिंसा एवं उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्था/महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र एवं सी.एल.जी. सदस्यों की सहायता लेगी।

27. प्रकीर्ण/विभिन्न प्रावधान।

राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 84 (10) की पालना में पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्यों का कियान्वयन, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित बाल कल्याण अधिकारियों का राजस्थान पुलिस अकादमी/राजस्थान राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से समय–समय पर प्रशिक्षण/आमुखीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न विभागों/स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करेंगे। संबंधित पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि विशेष किशोर पुलिस इकाई सक्रियता से कार्य सम्पादित करेगी। अधिनियम एवं संगत नियमों के अन्तर्गत पुलिस हेतु निर्धारित कार्यों के सुचारू निष्पादन इस परिपत्र का प्रभावी क्रियान्वयन एव बालको से जुड़े मुद्दों पर संबंधित विभागों एवं अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ त्रैमासिक बैठकें अयोजित करेंगे।

सभी पुलिस स्टेशनों में नाम निर्दिष्ट एक किशोर या बाल कल्याण अधिकारी जोकि विधि से संघर्षरत बच्चों के साथ कार्य करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त होंगे। देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि से संघर्षरत किशोर/बालकों से संबंधित मामले इनके द्वारा ही देखे जायेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त प्रत्येक पुलिस थानों में नियुक्त किए गए इन अधिकारियों का विवरण जिला बाल संरक्षण इकाई/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति एवं पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति एवं राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) को दी जायेगी।

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 व संगत नियमों की कम से कम दो प्रतियां, जिनमें से एक प्रति थानाधिकारी व दूसरी प्रति संबंधित बाल कल्याण अधिकारी के पास सभी पुलिस स्टेशनों में होनी चाहिए।
2. निम्नांकित के नाम, पते एवं फोन नं. की सूची सभी पुलिस स्टेशनों के ड्यूटी ऑफिसर के पास उपलब्ध होनी चाहिए :–

   क. बाल कल्याण समिति के सदस्य
   ख. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य
   ग. राजकीय/गैर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह/बाल गृह
   घ. परिवीक्षा अधिकारी

3. जिलों में सभी नियुक्त बाल कल्याण अधिकारियों एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों की सम्पर्क विवरण की सूची को प्रमुखता से सभी पुलिस स्टेशनों में प्रदर्शित किया जायेगा। बालकों से संबंधित सभी सूचनाएं यथा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत गृहों, एन.जी.ओ., जिला बाल संरक्षण इकाई इत्यादि, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर नियमित अपलोड की जायेगी।
4. जिले में अनाथ/उपेक्षित एवं अन्य देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित अपंजीकृत गृह/आश्रम/छात्रावास की पहचान कर उनकी सूचना संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (जिला कार्यालय सान्याअवि.विभाग) तथा संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति को दी जायेगी।
5. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आने वाले मामलों का प्रत्येक थाना स्तर पर रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा, जिसे प्रत्येक त्रैमास पर विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) कार्यालय एवं राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (सा.न्या.अ.वि. विभाग) को अनिवार्यता से प्रेषित किया जायेगा। संबंधित सूचना नियमानुसार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भी उपलब्ध कराई जायेगी।
6. किसी भी मामले में किशोर को पुलिस स्टेशन में लॉक–अप या जेल में नहीं भेजा जायेगा एवं किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा न कि न्यायालय

में। किशोर को किसी भी स्थिति में पुलिस की गाड़ी में बोर्ड के समक्ष नहीं ले जाया जायेगा।

7. पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी, जिनके प्रभार में किशोर होंगे, उस अवधि के दौरान उनकी सुरक्षा, भोजन व्यवस्था, मूलभूत भौतिक सुख–सुविधाओं एवं आश्रय के लिए जिम्मेदार होंगे।
8. विधि से संघर्षरत किशोर के बारे में किसी प्रकार की सूचना अपराधियों के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जायेगी, ना तो सूचना प्रपत्र और ना ही सर्च स्लिप तैयार की जायेगी।
9. किशोर के चरित्र प्रमाण–पत्र, सत्यापन एवं सरकारी नौकरी में (पूर्व में किये जाने वाले अपराध संबंधी सूचना में) विधि से संघर्षरत किशोर की सूचना में किशोर द्वारा कारित अपराध का विवरण नहीं दिया जायेगा।
10. विधि से संघर्षरत किशोर से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत विवरण तैयार नहीं किया जायेगा, ना तो उसके फोटोग्राफ और ना ही फिंगर प्रिन्ट लिये जायेंगे।
11. प्रत्येक पुलिस कन्ट्रोल रूम (नं. 100) पर बालको से संबंधित आने वाले मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जायेगी। कन्ट्रोल रूम में बैठने वाले कार्मिक को भी बालको से संबंधित मामलों/कार्यवाहीं से प्रशिक्षण के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।
12. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पृथक से वर्षवार नॉन–पी.पी.आर. रजिस्टर तथ्यों के संकलन एवं अन्य प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु संधारित किया जायेगा। साथ ही देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यंकता वाले बच्चों का रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा।

1. एस.आई. नम्बर
2. दैनिक डायरी नम्बर
3. तारीख
4. समय
5. शिकायत रसीद का विवरण
6. शिकायत का विवरण
7. अपराध का विवरण
8. शिकायत का सारांश
9. शिकायत देखने वाले बाल कल्याण अधिकारी का विवरण।
10. विधि से संघर्षरत बालक का विवरण।
11. आयु प्रमाण का विवरण
12. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट
13. शिक्षा का स्तर
14. अभिभावक/संरक्षक जिनको किशोर के बारे में सूचित किया जाना है, का विवरण (फोन नं. सहित)
15. परिवीक्षा अधिकारी जिनको किशोर के बारे में सूचित किया जाना है, का विवरण (फोन नं. सहित)
16. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का समय एवं दिनांक व बोर्ड के आदेशों का सारांश।
17. प्राथमिकी का विवरण, यदि दर्ज करवाई गई है, (कारण सहित)।
18. प्राथमिकी/शिकायत का अन्तरिम निस्तारण।

13. प्रत्येक घटना, जिसमें विधि से संघर्षरत किशोर शामिल है, निम्न कॉलम के साथ तैयार की जायेगी :–

1. एस. आई नं./वर्ष
2. दैनिक डायरी नं.
3. समय
4. दिनांक
5. शिकायत रसीद का विवरण
6. शिकायत का विवरण
7. अपराध का विवरण
8. शिकायत का सारांश
9. शिकायत देखने वाले बाल कल्याण अधिकारी का विवरण।
10. विधि से संघर्षरत बालक का विवरण।
11. आयु प्रमाण का विवरण
12. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट
13. शिक्षा का स्तर
14. अभिभावक/संरक्षक जिनको किशोर के बारे में सूचित किया जाना है, का विवरण (फोन नं. सहित)
15. परिवीक्षा अधिकारी जिनको किशोर के बारे में सूचित किया जाना है, का विवरण (फोन नं. सहित)
16. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का समय एवं दिनांक व बोर्ड के आदेशों का सारांश।
18. आवागमन हेतु प्रयोग में लाया वाहन।
19. सुनवाई की अगली तारीख, यदि कोई हो तो।
20. एफ.आई.आर. नं., तिथि धारान्तर्गत।

14. पुलिस अधिकारी किशोर न्याय व्यवस्था के तहत निम्नानुसार उचित शब्दावली का प्रयोग करेंगे :–

अनुचित	उचित
आरोपी, अपराधी, अपचारी (Accused, Criminal)	विधि से संघर्षरत किशोर (Juvenile in Conflict with Law)
गिरफ्तार (Arrest)	निरूद्ध (Apprehension)
पुलिस अनुसंधान (Police Investigation)	पुलिस जांच (Police Inquiry)
ट्रायल (Trial)	जांच (Inquiry)
किशोर अदालत/न्यायलय (Juvenile Court)	किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)
वेश्यावृत्ति में लिप्त बच्चे (Child Prostitute)	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (Child in Need of Care and Protection)
बाल अदालत/न्यायलय (Children Court)	बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee)

बाल सुधार गृह (Juvenile/Children Jail)	सम्प्रेक्षण/बाल गृह (Observation/Children Home)
हिस्ट्रीशीटर (History Sheeter)	रिपीटर (Repeater)
किशोर का भागना	किशोर का पलायन (Escape)

15. पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिकाओं/बाल विवाह की रोकथाम/बालकों की ख़रीद फरोख़्त के मामलों में बिना किसी देरी के संबंधित विधियों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
16. पुलिस (ट्रैफिक पुलिस सहित) द्वारा सड़क पर रहने वाले बालकों पर शारीरिक दण्ड अथवा चोट न पहुंचाते हुए संवेदनशीलता के साथ काउन्सिलिंग कर उन्हें बेहतर देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति के माध्यम से उनके परिवारों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गृहों में भेजा जायेगा।
17. दूर संचार तकनीकी माध्यमों (साइबर कैफे, मोबाइल, कम्प्यूटर इत्यादि) के द्वारा बालकों के अश्लील एवं आपत्तिजनक दृश्यों एवं दस्तावेजों के प्रदर्शन करने वाले संचालकों/कारकों के विरूद्ध सूचना एवं तकनीकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 के तहत पीड़ित बालक की पहचान उजागर नहीं करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
18. जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, बाल कल्याण अधिकारी के प्रशिक्षित होने तथा उन्हें अधिनियम, नियम व निर्देशों की पूर्ण जानकारी होना सुनिश्चित करेंगे। बाल कल्याण अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी से समन्वय स्थापित करेंगे।
19. जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पर्याप्त बाल कल्याण अधिकारियों को नामित करना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी अधिनियम, नियम व निर्देशों का पूर्ण जानकार होगा और बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड की प्रकिया में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
20. नामित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में थानाधिकारी के लिखित आदेश से अन्य पुलिस अधिकारी संबंधित किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति की प्रकिया में उपस्थित होगा।
21. जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त ऐसे मामलों को देखने वाले एन.जी.ओ., बाल संरक्षण संस्थान, आर.पी.एफ./जी.आर.पी. को सहयोग करेंगे, साथ ही बच्चों को उनके पैतृक स्थान पर वापस भेजना/पुनर्वासित करने में भी सहयोग करेंगे।
22. रेल्वे स्टेशनों पर आने वाले बालकों एवं बालकों की मानव तस्करी संबंधी मामलों में उपरोक्तानुसार जी.आर.पी. द्वारा सकियता से कार्य किया जायेगा।
23. जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त बालकों को उनके पैतृक स्थान (अन्य राज्य सहित) पर वापस भेजने/पुनर्वासित करने में तुरन्त पुलिस कार्यबल उपलब्ध करवाएंगे।
24. जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त जिले में बालकों के संरक्षण में पुलिस की सकारात्मक भूमिका की समीक्षा करेंगे तथा अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं एवं बाल कल्याण समिति के सहयोग से भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों एवं अन्य शोषित/उत्पीडन के शिकार बालकों के मामलों में कार्ययोजना तैयार करेंगे।
25. जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान किशोरों से संबंधित मामलों की फाइलों एवं निर्धारित प्रपत्रों का इस्तेमाल संबंधी दस्तावेज को निरीक्षण

(15)

करेंगे और अधिनियम, नियम और निर्देशों के अनुरूप इनका संकलन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

26. बालकों के मामलों पर होने वाला व्यय अन्वेषण मद से नियमानुसार किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त एवं थानाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस दिशा-निर्देश की अक्षरशः पालना हो। उक्त दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने वाले एवं बालकों के शोषण/उत्पीड़न में लिप्त बाल कल्याण अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों/थानाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं नियम 84 (11) के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसे प्राथमिकता से लागू किया जावे।

(हरीश चन्द मीना)
महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प-6 (27) पु.अ./म.अ./सान्अवि/09/2185-2260 दिनांक : 30-4-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/श्रम/विधि/महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट वाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेड़कर भवन, बाईस गोदाम, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर, को सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
6. निजी सचिव, महानिदेशक, जेल विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
8. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस, ...।
9. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, को सूचनार्थ।
10. समस्त जिला कलक्टर/अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक सहयोग हेतु।
11. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, राजस्थान पुलिस,.....को पालनार्थ।
13. समस्त प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड.....।
14. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति.....।
15. आदेश पत्रावली।

(हरीश चन्द मीना)
महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर